राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	127/2025 128/2025 रामचन्द्र बनाम छाजू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपील संख्या 127/2025 व 128/2025 पर ईकजाई बहस सुने जाने का निवेदन किया। अत: अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस दोनों पत्रावलीयो पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 20/11/2025 को पेश हो।	
20/11/2025	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर गैर मुमकिन नदी में से रास्ता चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 7 के बीच में से रास्ता प्रदान किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की गयी है। रेस्पो. के खसरा नम्बर के दोनों तरफ नदी है एवं रेस्पो. यदि अपीलार्थी की भूमि में से नदी में जाना चाहते है तो रेस्पो. स्वयं के खेत के अन्दर से भी जा सकते है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06/12/2024 पारित करते हुये अपीलार्थी की भूमि में से दो रास्ते बना दिए गये, जो गलत है। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया की रेस्पो. को चाहे गये गये रास्ते की कोई आवश्यकता नही है एवं उक्त रास्ता रेस्पो. द्वारा केवल सुगम रास्ता व सुविधा के लिये चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो एक त्रुटीपूर्ण निर्णय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त प्रक्रियां अपनाये एवं कायम मुकामान को रिक़ार्ड पर लिए बगैर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06/12/2024 पारित किये जाने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन पारित निर्णय की अनुपालना में मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होंगे। अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06/12/2024 पारित किया गया है। sdm महोदय स्वयं मौके पर गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06/12/2024 पारित करते हुए सुगम एवं छोटा रास्ता प्रदान किया गया, जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटी नही है। रेस्पो. के पास अपनी भूमि में आने-जाने व कृषि यंत्र आदि ले जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06/12/2024 पारित	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामचन्द्र बनाम छाजू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं क़ानूनी त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06/12/2024 में कोई त्रुटी जाहिर नही होती है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का परिक्षण कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना स्पष्ट होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनों अपीलों के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06/12/2024 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखा जाकर दोनों अपीले क्रमश: 127/2025 व 128/2025 ख़ारिज की जाती है | पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो| निर्णय आज दिनांक 20/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	